क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलौनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

पत्रांक 1217/OA-243/2023 दिनांक 11.09.23

सेवा में,

रजिस्ट्रार महोदय,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या–423/2023, श्याम बिहारी लाल सक्सैना बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या–423/2023, श्याम बिहारी लाल सक्सैना बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी, कासगंज के पत्र संख्या–1114/ओ.ए.–423/2023 दिनांक 22.08.2023 के द्वारा ईट भट्ठा मै0 एम.एस. ईट उद्योग, ग्राम–सुनहरा, डाकखाना–भुजपुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज का निरीक्षण किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की टीम गठित की गयी है:–

1. उप जिलाधिकारी, तहसील–पटियाली, जनपद कासगंज।
2. सहायक पर्यावरण अभियन्ता/अवर अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच99720/सी–4/विधि/एन.जी.टी. नं.–455/2023 दिनांक 22.08.2023, के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अलीगढ़ को मा0 एन.जी.टी. का आदेश दिनांक 01.08.2023 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के प्रतिनिधित्व हेतु नामित किया गया है।

उक्त समिति द्वारा ईट भट्ठा मै0 एम.एस. ईट उद्योग, ग्राम–सुनहरा, डाकखाना–भुजपुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज का निरीक्षण दिनांक 25.08.2023 एवं दिनांक 04.09.2023 को किया गया है। समिति द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 25.08.2023 को मा0 एन0जी0टी0 के नोटिस को ईट भट्ठा के प्रतिनिधि श्री पूरन सिंह (मुनीम) को प्राप्त कराया गया। पावती की मूलप्रति संलग्न है।

जिलाधिकारी, कासगंज के कार्यालय आदेश संख्या–1114 दिनांक 22.08.2023 के द्वारा इस कार्यालय को संयुक्त निरीक्षण आख्या मा0 एन0जी0टी0 की ई–मेल आई0डी0–judicial-ngt@gov.in पर अपलोड किये जाने हेतु निर्दशित किया गया है। उक्त के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या मा0 एन0जी0टी0 की ई–मेल आई0डी0–judicial-ngt@gov.in के माध्यम से अपलोड की गयी है। संयुक्त निरीक्षण आख्या की मूलप्रति संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : संयुक्त निरीक्षण आख्या।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कासगंज।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. श्री प्रदीप मिश्रा, बोर्ड अधिवक्ता, बी–235, सेक्टर–19, नोएडा।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

BY EMAIL

14/08/23

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

O.A. NO. 423 OF 2023

Shyam Bihari Lal Saxena Vs State of Uttar Pradesh & Ors.

To

1. **State of Uttar Pradesh,**
   Through its Chief Secretary,
   101, B Block, Lok Bhawan, U.P. Secretariat,
   Lucknow – 226001
   Email Address: csup@nic.in (RESPONDENT No.1)
2. **Uttar Pradesh State Pollution Control Board**
   Through its Member Secretary, Govt of Uttar Pradesh
   Building No. TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
   Lucknow, Uttar Pradesh-226010
   Email: ms@uppcb.in (RESPONDENT No.2)
3. **District Magistrate, Kasganj**
   Collectorate Kasganj, Uttar Pradesh
   Email: dmkr-up@nic.in (RESPONDENT No.3)
4. **M/s M.S. Int Udyog,**
   Dhoomri Road, Sunahra, Bhujpura, Sidhpura,
   Tehsil Patiyali, District Kasganj, Uttar Pradesh-207123 (RESPONDENT No.4)

NOTICE

Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 01.08.2023 (copy of order & petition is enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

> **"3. In view of the above, we consider it appropriate to seek response from (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, (2) Uttar Pradesh State Pollution Control Board, (3) District Magistrate, Kasganj and (4) M/s M.S. Int Udyog, Dhoomri Road, Sunahra, Bhujpura, Sidhpura, Tehsil Patiyali, District Kasganj, Uttar Pradesh who are impleaded as respondent Nos. 1 to 4. The registry is also directed to prepare and attach memo of parties with the paper book accordingly. Notices be issued to Respondent Nos. 1 to 4 requiring them to file their response to the averments made in the application by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.**
>
> **6. List for further consideration on 04.10.2023."**

******

2. Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 04th October, 2023, at **Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001** through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file reply/responses, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 01.08.2023.
3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.
4. Given under my hand and the seal of this Hon'ble Tribunal, on this 14th August, 2023.

Note: *(For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in)*

14/8/2023

Consultant (Judicial), NGT

AEE/J.E

14/8/23

7830239500

M.S. Int Udyog dumri Road

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–423/2023 श्याम बिहारी लाल सक्सेना बनाम उ0प्र0 राज्य में दिनांक 01.08.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–423/2023 श्याम बिहारी लाल सक्सेना बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः–

1. The grievance in this present application is that M/s M.S. Int Udyog has been illegally established at Dhoomri Road, Sunahra, Bhujpura, Sidhpura, Tehsil Patiyali, District Kasganj, Uttar Pradesh by cutting mango orchard and is being operated without obtaining CTE/CTO from UPPCB and in violation of closure order dated 30.09.2022 issued by UPPCB. Complaints were made to the concerned authorities but no action has been taken on the subject.
2. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010.
3. In view of the above, we consider it appropriate to seek response from (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, (2) Uttar Pradesh State Pollution Control Board, (3) District Magistrate, Kasganj and (4) M/s M.S. Int Udyog, Dhoomri Road, Sunahra, Bhujpura, Sidhpura, Tehsil Patiyali, District Kasganj, Uttar Pradesh who are impleaded as respondent Nos. 1 to 4. The registry is also directed toprepare and attach memo of parties with the paper book accordingly. Notices be issued to Respondent Nos. 1 to 4 requiring them to file their response to the averments made in the application by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
4. Further, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of UP State PCB and District Magistrate, Kasganj and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.
5. Factual and Action taken Report may be filed within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
6. List for further consideration on 04.10.2023.
7. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the State PCB and District Magistrate, Kasganj by e-mail for requisite compliance.

उक्त जारी आदेश के अनुपालन में ग्राम व पोस्ट –सुनहरा, थाना–सिढ़पुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज में स्थित ईट भट्ठा मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग की जांच किये जाने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, कासगंज के पत्र संख्या–1114/ओ0ए0–423/2023 दिनांक 22.08.2023 **छायाप्रति संलग्नक–1 के रूप में संलग्न है,** के द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की टीम गठित की गयी हैः–

1. उप जिलाधिकारी, तहसील–पटियाली, जनपद कासगंज।
2. सहायक पर्यावरण अभियन्ता/अवर अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच99720/सी–4/विधि/एन.जी.टी. नं.–455/2023 दिनांक 22.08.2023 **छायाप्रति संलग्नक–2 के रूप में संलग्न है,** के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अलीगढ़ को मा0 एन.जी.टी. का आदेश दिनांक 01.08.2023 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के प्रतिनिधित्व हेतु नामित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के अनुपालन में उक्त समिति के द्वारा ईट भट्ठा मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग, ग्राम व पोस्ट –सुनहरा, थाना–सिढ़पुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज का निरीक्षण दिनांक 25.08.2023 एवं 04.09.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे पर श्री पूरन सिंह (मुनीम) उपस्थित थे। निरीक्ष्ज्ञण दिनांक 04.09.2023 के समय शिकायतकर्ता श्री श्याम बिहारी लाल सक्सैना से वार्ता की गयी। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे की उत्पादन क्षमता–20,000 ईंट/दिन का है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा नैचुरल ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित पाया गया।
2. ईट भट्ठे के अक्षांश– 27.605028 व देशान्तर–78.896833 है। निरीक्षण् के समय ईट भट्ठे का आकार अण्डाकार पाया गया। ईट भट्ठे की चिमनी वृत्ताकार पायी गयी तथा ईंट भट्ठा 21 पाये एवं 8 घाटी का पाया गया।
3. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी पर फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु प्लेटफार्म, पोर्टहोल एवं सीढी स्थापित नहीं पाये गये। निरीक्षण के समय खीचे गये फोटोग्राफ संलग्न हैं **छायाप्रति संलग्नक–3 के रूप में संलग्न है।**
4. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठा वर्ष–2021 में स्थापित है। जी0एस0टी0 विभाग के द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या–09ABSFM1646F1ZY दिनांक 25.10.2021 की छायाप्रति संलग्न है, **छायाप्रति संलग्नक–4 के रूप में संलग्न है।** कार्यालय में उपलब्ध पार्टनरशीप डीड के अनुसार ईंट भट्ठा के पार्टनर श्री मुकुल शाक्य पुत्र स्व0 श्री सुरेश चन्द्र शाक्य, निवासी–मकान संख्या–3, अशोक नगर, निधौली कलां रोड, एटा हैं तथा श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री रघूवर दयाल, निवासी–ढूंढरा, परगना व थाना–सिढ़पुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज हैं। **पार्टनरशीप डीड की प्रति छायाप्रति संलग्नक–5 के रूप में संलग्न है।**
5. ईंट भट्ठे द्वारा संचालन के समय मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं पकाई आदि प्रक्रिया द्वारा ईंट का उत्पादन किया जाता है। ईंट भट्ठा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईंट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है।
6. ईंट भट्ठे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है। मात्र घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है, जिसके निस्तारण हेतु सैप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना की गयी है।
7. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले/तूरी का प्रयोग लगभग 3 मी.टन/दिन किया जाता है। ईंट भट्ठे में ईंधन के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित किया गया है।
8. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की ट्रेन्च में लगभग–7 लाख पक्की ईट भरी हुई पायी गयी तथा ईट भट्ठा परिसर में लगभग–8 लाख पक्की ईट भण्डारित पायी गयी।
9. उक्त ईट भट्ठे को वर्तमान में संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) प्रदान नही है।
10. उक्त ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच82595/सी–4/ईंट–1072/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 30.09.2022 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है **छायाप्रति संलग्नक–6 के रूप में संलग्न है।** बन्दी आदेश के अनुसार ईंट भट्ठा उ0प्र0 ईंट भट्ठा(स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुसार नहीं है। बन्दी आदेश वर्तमान में प्रभावी है।
11. बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–89110/सी–4/ईंट–1072/पर्या0क्षति0/2023 दिनांक 14.02.2023 **(छायाप्रति संलग्नक–7 के रूप में संलग्न है।**) के द्वारा ईंट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में रू0 1,75,000/– (रू0 एक लाख पिचत्तर हजार मात्र) अधिरोपित किये गये हैं।

12. क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1081/के0एम0–630/2023 दिनांक 16.08.2023 के द्वारा रू0 9,87,500/– की अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ उक्त ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को की गयी है। **छायाप्रति संलग्नक–8 के रूप में संलग्न है।**

उपरोक्त संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(मुकेश कुमार)
नायब तहसीलदार
तहसील–पटियाली, कासगंज

(अजय कुमार)
सहायक पर्यावरण अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
अलीगढ़

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
अलीगढ़

(कुलदीप सिंह)
उपजिलाधिकारी–पटियाली,
कासगंज।

उपजिलाधिकारी
पटियाली (कासगंज)

संलग्नक-1

कार्यालय जिलाधिकारी, कासगंज

पत्रांक : 1114/OA No.-423/2023 दिनांक : 22-8-23

कार्यालय आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–423/2023 श्याम बिहारी लाल सक्सेना बनाम उ0प्र0 राज्य में दिनांक 01.08.2023 को आदेश पारित किया गया है, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है:–

1. The grievance in this present application is that M/s M.S. Int Udyog has been illegally established at Dhoomri Road, Sunahra, Bhujpura, Sidhpura, Tehsil Patiyali, District Kasganj, Uttar Pradesh by cutting mango orchard and is being operated without obtaining CTE/CTO from UPPCB and in violation of closure order dated 30.09.2022 issued by UPPCB. Complaints were made to the concerned authorities but no action has been taken on the subject.
2. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010.
3. In view of the above, we consider it appropriate to seek response from (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, (2) Uttar Pradesh State Pollution Control Board, (3) District Magistrate, Kasganj and (4) M/s M.S. Int Udyog, Dhoomri Road, Sunahra, Bhujpura, Sidhpura, Tehsil Patiyali, District Kasganj, Uttar Pradesh who are impleaded as respondent Nos. 1 to 4. The registry is also directed toprepare and attach memo of parties with the paper book accordingly. Notices be issued to Respondent Nos. 1 to 4 requiring them to file their response to the averments made in the application by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
4. Further, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of UP State PCB and District Magistrate, Kasganj and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.
5. Factual and Action taken Report may be filed within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

6. List for further consideration on 04.10.2023.

7. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the State PCB and District Magistrate, Kasganj by e-mail for requisite compliance.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के अनुपालन में सन्दर्भित ईट भट्ठा मै0 एम.एस. ईट उद्योग, ग्राम–सुनहरा, डाकखाना–भुजपुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज की जॉच किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है:–

1. उप जिलाधिकारी, तहसील–पटियाली, जनपद कासगंज
2. सहायक पर्यावरण अभियन्ता/अवर अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।

गठित समिति के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में सन्दर्भित ईट भट्ठे की जॉच आख्या 15 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने के साथ–साथ नियमानुसार समयान्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 की ई–मेल आई0डी0 judicial-ngt@gov.in पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

(हर्षिता माथुर)
जिलाधिकारी, कासगंज

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. उप जिलाधिकारी, पटियाली, जनपद कासगंज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।

जिलाधिकारी, कासगंज।

संलग्नक-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक H99720 /सी–4/विधि/एनजीटी नं0–455/2023, दिनांक 22-8-2023

डाक प्राप्ति
दिनांक 28/08/23 हस्ताक्षर मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,
जिलाधिकारी,
कासगंज।

विषय :मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–423/2023 श्याम बिहारी लाल सक्सेना बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–423/2023 श्याम बिहारी लाल सक्सेना बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

".....3. In view of the above, we consider it appropriate to seek response from (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, (2) Uttar Pradesh State Pollution Control Board, (3) District Magistrate, Kasganj and (4) M/s M.S. Int Udyog, Dhoomri Road, Sunahra, Bhujpura, Sidhpura, Tehsil Patiyali, District Kasganj, Uttar Pradesh who are impleaded as respondent Nos. 1 to 4. The registry is also directed to prepare and attach memo of parties with the paper book accordingly. Notices be issued to Respondent Nos. 1 to 4 requiring them to file their response to the averments made in the application by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

4. Further, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of UP State PCB and District Magistrate, Kasganj and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई-मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

5. *Factual and Action taken Report may be filed within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*
6. *List for further consideration on 04.10.2023."*

उक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के प्रतिनिधित्व हेतु डॉ0 जे0पी0 सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ (मो0 नं0–7839891773 ई–मेल–roaligarh@uppcb.in) को नामित किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति हेतु प्रतिनिधि नामित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि माननीय एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में गठित समिति के साथ समन्वय स्थापित कर, निर्धारित समयावधि में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत करायें।
2. विधि अधिकारी–प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

सदस्य सचिव

संलग्नक -3

(कासगंज)
7.605655
78.897409
169.62±16 m
9.3 m
08-2023 15:14
स ईंट उद्योग घूमरी रोड
Powered by

संलग्नक-4

सत्यमेव जयते

Government of India

Form GST REG-06

[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 09ABSFM1646F1ZY

1.	**Legal Name**	M S ENT UDHYOG			
2.	**Trade Name, if any**	M S ENT UDHYOG			
3.	**Constitution of Business**	Partnership			
4.	**Address of Principal Place of Business**	,, SUNHARA POST BHUJPURA TEHSIL, PATIYALI, Kanshiramnagar, Uttar Pradesh, 207246			
5.	**Date of Liability**	21/10/2021			
6.	**Period of Validity**	From	21/10/2021	To	Not Applicable
7.	**Type of Registration**	Regular			
8.	**Particulars of Approving Authority**	Uttar Pradesh			

Signature

Signature Not Verified
Digitally signed by DS GOODS AND SERVICES TAX NETWORK(4)
Date: 2021.10.25 12:30:21 IST

Name	Manoj Kumar
Designation	Assistant Commissioner
Jurisdictional Office	Kashiram Nagar Sector-2
9. Date of issue of Certificate	25/10/2021

Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the approval of application granted on 25/10/2021 by the jurisdictional authority.

सत्यमेव जयते

Annexure A

GSTIN	09ABSFM1646F1ZY
Legal Name	M S ENT UDHYOG
Trade Name, if any	M S ENT UDHYOG

Details of Additional Places of Business

Total Number of Additional Places of Business in the State 0

सत्यमेव जयते

Annexure B

GSTIN	09ABSFM1646F1ZY
Legal Name	M S ENT UDHYOG
Trade Name, if any	M S ENT UDHYOG

Details of Managing / Authorized Partners

1

Name	MUKUL SHAKYA
Designation/Status	PARTNER
Resident of State	Uttar Pradesh

संलग्नक-5

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

ई- स्थायी लेखा संख्या कार्ड
e - Permanent Account Number (e-PAN) Card

[redacted]

नाम / Name [redacted]

निगमन/गठन की तारीख
Date of incorporation / Formation [redacted]

Signature valid
Digitally signed by Income Tax Dep[...]
Date: 2021.10.2[...]:39
GMT[...]

- Permanent Account Number (PAN) facilitates Income Tax Department linking of various documents, including payment of taxes, assessment, tax demand, tax arrears, matching of information and easy maintenance & retrieval of electronic information etc. relating to a taxpayer.
स्थायी लेखा संख्या (पैन) एक करदाता से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों को जोड़ने में आयकर विभाग को सहायक होता है, जिसमें करों के भुगतान, आकलन, कर मांग, कैश बकाया, सूचना के मिलान और इलेक्ट्रॉनिक जानकारी का आसान रखरखाव व बहाली आदि भी शामिल हैं।
- Quoting of PAN is now mandatory for several transactions specified under Income Tax Act, 1961 (Refer Rule 114B of Income Tax Rules, 1962)
आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्दिष्ट कई लेनदेन में पैन उद्धृत करना अब अनिवार्य है। (आयकर नियम, 1962 के नियम 114B का संदर्भ लें)
- Possessing or using more than one PAN is against the law & may attract penalty of upto Rs. 10,000.
एक से अधिक स्थायी लेखा संख्या (पैन) का रखना या उपयोग करना, कानून के विरुद्ध है और इसके लिए 10,000 रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है।
- The PAN Card enclosed contains Enhanced QR Code which is readable by a specific Android Mobile App. Keyword to search this specific Mobile App on Google Play Store is "Enhanced QR Code Reader for PAN" and
संलग्न पैन कार्ड में उन्नत क्यूआर कोड शामिल है जो एक विशिष्ट एंड्रॉयड मोबाइल ऐप द्वारा पठनीय है। Google Play Store पर इस विशिष्ट मोबाइल ऐप को खोजने के लिए कीवर्ड
"Enhanced QR Code Reader for PAN" है।

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

[redacted]

नाम / Name
[redacted]

निगमन/गठन की तारीख
Date of Incorporation/Formation
[redacted]

[redacted] /Valedr

[redacted]

If this card is lost / someone's lost card is found, please inform / return to:

[redacted]

Electronically issued and Digitally signed ePAN is a valid mode of issue of Permanent Account Number (PAN) post amendments in clause (c) in the Explanation occurring after sub-section (6) of Section 139A of Income Tax Act, 1961 and sub-rule (6) of Rule 114 of the Income Tax Rules, 1962. For more details,

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	IN-UP70352769853433T
Certificate Issued Date	18-Sep-2021 04:33 PM
Account Reference	NEWIMPACC (SV)/ up14424804/ ETAH SADAR/ UP-ETH
Unique Doc. Reference	SUBIN-UPUP14424804296332665890796T
Purchased by	MS M S EIT UDYOG SUNHARA TESEL PATIYALI KASGANJ
Description of Document	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	
First Party	MS M S EIT UDYOG SUNHARA TESEL PATIYALI KASGANJ
Second Party	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	MS M S EIT UDYOG SUNHARA TESEL PATIYALI KASGANJ
Stamp Duty Amount(Rs.)	750 (Seven Hundred And Fifty only)

NOTARY PUBLIC

0001438301

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP70352769853433T
Certificate Issued Date	:	18-Sep-2021 04:33 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14424804/ ETAH SADAR/ UP-ETH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14424804296326656890796T
Purchased by	:	MS M S EIT UDYOG SUNHARA TESEL PATIYALI KASGANJ
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MS M S EIT UDYOG SUNHARA TESEL PATIYALI KASGANJ
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	MS M S EIT UDYOG SUNHARA TESEL PATIYALI KASGANJ
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

NOTARY PUBLIC

0001438301

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

ई– स्थायी लेखा संख्या कार्ड
e - Permanent Account Number (e-PAN) Card

नाम / Name

निगमन/गठन की तारीख
Date of Incorporation / Formation

Signature valid

Digitally signed by Income Tax Dept
Date: 2021.10.2 4:39
GMT

- ✓ Permanent Account Number (PAN) facilitate Income Tax Department linking of various documents, including payment of taxes, assessment, tax demand tax arrears, matching of information and easy maintenance & retrieval of electronic information etc. relating to a taxpayer.
  स्थायी लेखा संख्या (पैन) एक करदाता से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों को जोड़ने में आयकर विभाग को सहायक होता है, जिसमें करों के भुगतान, आकलन, कर मांग, टैक्स बकाया, सूचना के मिलान और इलक्ट्रॉनिक जानकारी का आसान रखरखाव व बहाली आदि भी शामिल है।
- ✓ Quoting of PAN is now mandatory for several transactions specified under Income Tax Act, 1961 (Refer Rule 114B of Income Tax Rules, 1962)
  आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्दिष्ट कई लेनदेन के लिए स्थायी लेखा संख्या (पैन) का उल्लेख अब अनिवार्य है (आयकर नियम, 1962 के नियम 114B, का संदर्भ लें)
- ✓ Possessing or using more than one PAN is against the law & may attract penalty of upto Rs. 10,000.
  एक से अधिक स्थायी लेखा संख्या (पैन) का रखना या उपयोग करना, कानून के विरुद्ध है और इसके लिए 10,000 रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है।
- ✓ The PAN Card enclosed contains Enhanced QR Code which is readable by a specific Android Mobile App. Keyword to search this specific Mobile App on Google Play Store is "Enhanced QR Code Reader for PAN Card."
  संलग्न पैन कार्ड में एनहान्स क्यूआर कोड शामिल है जो एक विशिष्ट एंड्रॉइड मोबाइल ऐप द्वारा पठनीय है। Google Play Store पर इस विशिष्ट मोबाइल ऐप को खोजने के लिए कीवर्ड "Enhanced QR Code Reader for PAN Card" है।

-------------------- Cut --------------------

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी ... कार्ड
Perman... ber Card

निगमन/गठन की तारीख
Date of Incorporation/Formation
25/09/2021

If this card is lost / s... lost card is found, ple... /re...

...DL

...w Chowk,

...21 8080, Fax: 91-20-2721 8081
e-mail: tininfo@nsdl.co.in

Electronically issued and Digitally signed ePAN is a valid mode of issue of Permanent Account Number (PAN) post amendments in clause (c) in the Explanation occurring after sub-section (8) of Section 139A of Income Tax Act, 1961 and sub-rule (6) of Rule 114 of the Income Tax Rules, 1962. For more details,

PARTNERSHIP DEED

HIS DEED OF PARTNERSHIP IS MADE on this **25th day of Sep, 2021** by and between **Mr. MUKUL SHAKYA S/O SRI SURESH CHANDRA SHAKYA R/O ASHOK NAGAR, NIDHAULI KALA ROAD, ETAH PIN 207001 UTTAR PRADESH AADHAR NO : 8439 6439 6628** hereinafter referred to as **Party of the FIRST PART** (which expression shall deem and include his heirs, executors, administrators, representatives, assigns and agents), AND

Mr. SURESH CHANDRA S/O SRI RAGHUBAR DAYAL R/O VILLAGE DHUNDHRA DISTT KASGANJ PIN 207246 UTTAR PRADESH AADHAR NO : 4265 2663 3516 , Party of the SECOND PART (which **expression** shall deem and include his heirs, executors, administrators, representatives, **assigns), AND**

WHEREAS the above named partners have decided to **start** the partnership business of **BRICK MANUFACTURING AND TRADING WORK** in the name and style of **M.S ENT UDHYOG ADDRESS SUNHARA POST BHUJPURA TEHSIL PATIYALI DISTT KASGANJ** with effect **25th day of Sep, 2021** on the **terms** and **conditions** hereinafter mentioned and have desired to reduce the terms and conditions into writing.

NOW THIS INDENTURE IS WITNESSETH AS FOLLOWS :

1. THAT the PARTIES referred above shall carry on the business of **MANUFACTURE & TRADERS** in the PARTNERSHIP FIRM under the name and style of **M.S ENT UDHYOG ADDRESS SUNHARA POST BHUJPURA TEHSIL PATIYALI DISTT KASGANJ** hereinafter referred to as the FIRM) But by their mutual consent may start and carry on any other business or businesses under any other name or names at any other place or places.

2. THAT the business of the PARTNERSHIP pursuant to this DEED of PARTNERSHIP shall be deemed to have commenced with effect from **25th day of Sep, 2021**

NOTARY PUBLIC ★ Govt. of India

27/12/21

NOTARY ETAH

3. That the capital required for the business of Partnership shall be contributed time to time by the PARTIES in such manner in all respect as may be agreed to between them and such capital may be paid interest as may be mutually agreed from time to time at the rate of rates not exceeding 12% (Twelve Percent) per annum.

4. That all the PARTIES referred above shall be Working Partners and shall attend diligently to the business of the Partnership and carry on the same for the greatest advantage of the Firm.

5. That all the WORKING PARTNERS may be paid Salary w.e.f. 25th day of Sep, 2021, for the work of the FIRM as may be agreed mutually from time to time between the PARTIES in accordance with the provisions of the Income Tax Laws as well as business necessities and other factors, subject however, that the monthly Salary to each such Partner shall not exceed as under:

- NAME OF WORKING PARTNER MAXIMUM BASIC SALARY NOT TO EXCEED

a. **MUKUL SHAKYA**	**Rs. 18000/- per month**
b. **SURESH CHANDRA**	**Rs. 18000/- per month**

lower salary as per personal lable sattle In future and may be changed

6. That all business expenses shall be borne by the FIRM.

7. That the Profits or Losses, as the case may be, of the Partnership business shall be divided among the Partners as under :

NAME OF WORKING PARTNER	SHARE OF PROFIT	SHARE OF LOSS
a. Mr. MUKUL SHAKYA	50%	50%
b. SURESH CHANDRA	50%	50%

8. That the duration of the PARTNERSHIP shall be at WILL subject to Clause '9'.

9. That any Partner may retire from Partnership after giving a notice to the other Partner (s) of not less than one month in writing and at the expiry of such notice period he shall be deemed to have retired.

10. Upon mutual understanding, each Partner or his duly authorised agent shall have free access to the account books of the Partnership and shall be entitled to take copies or extracts from any or all such books and records of the Partnership Business.

11. That no Partner shall have the right to sell, mortgage or transfer his share of interest in the FIRM to any one else except to his heir or heirs or any one of the existing Partners or to their heir (s). In the event of heir (s) selling his/her share to any one else, the existing Partners shall have a right or pre-emotion in respect of such share (s) sold.

12. That the Partners shall keep or cause to be kept the books of account of the FIRM at the principal places of its business and make all entries therein, and that all such books of account kept shall be closed on 31st March every year or in the case of any necessity on any other date as the Partners may mutually decide.

NOTARY
ETAH

13. That no Partner shall do any act or thing whereby FIRM or the FIRM property may be prejudicially effected.

14. That the terms of the Partnership Deed may be altered, added to or cancelled by the written consent of the Parties to this DEED.

15 That the partners can open the bank account of the firm, in any bank and bank account shall be operated by the partners jointly or individually, as the case may be.

16. That the partners shall not take any loan from any person/Financing Company, bank or any other Govt./Pvt. Department in any case, without the written consent of each other.

17. That in the case of any dispute arising out of this DEED between the Parties of this DEED, it shall be decided by Arbitration as provided for under the Indian Arbitration Act.

IN WITNESS WHEREOF the Parties hereto have set and subscribed their respective hands to these presents the day, month and year first written above.

WITNESSES :

1.

MR. MUKUL SHAKYA
(Party of the First Part)

2.
3.

SURESH CHANRDA
(PARTY OF THE SECOND PART)

NOTARY
ETAH

expained ... by Shri ... of solarity
under ... s the con... named person
aff...
on. ... /Residance
Identi... by Shri...
Who is personally known to me
Receved Fee Rs

23/12/21
Notary ETAH

2993/21

ACC Name-PINKI VERMA
Stamp Vendor
E-Stamping ACC ...4204

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP49770425344192T
Certificate Issued Date	:	18-Mar-2021 03:22 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14344204/ PATIYALI/ UP-KSG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1434420486893402783126T
Purchased by	:	MUKUL SHAKYA SON OF SURESH CHANDRA ETC
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	AGRICULTURE LAND SITUATED AT MAUJA SUNHRA PARGANA SIDHPURA TEHSIL PATIYALI DISTT KASGANJ
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	HOTI LAL SON OF SHRI RAM ETC
Second Party	:	MUKUL SHAKYA SON OF SURESH CHANDRA ETC
Stamp Duty Paid By	:	MUKUL SHAKYA SON OF SURESH CHANDRA ETC
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	24,000 (Twenty Four Thousand only)

----------Please write or type below this line----------

0000548962

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

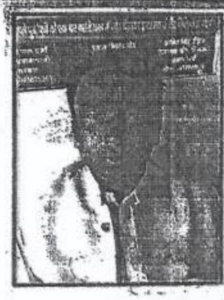

ई स्टाम्प क0 IN-UP49770425344192T
किरायानामा अवधि 15 वर्ष

मासिक किराया 20,000/—रूपया   स्टाम्प 24,000/—रूपया

हम कि होतीलाल व श्रीराम व खूबसिंह पुत्रगण श्री चोखेलाल व महेन्द्रपाल सिंह व त्रिमल सिंह पुत्रगण श्री नन्दराम निवासीगण ग्राम सलूपुरा परगना सिढपुरा तहसील पटियाली जनपद कासगंज — प्रथम पक्ष (मालिक)

1. मुकुल शाक्य पुत्र स्व0 श्री सुरेशचन्द्र निवासी म0नं0 3 अशोकनगर, निधौलीकलां रोड, एटा जनपद एटा
2. सुरेशचन्द्र पुत्र श्री रघुवरदयाल निवासी ग्राम ढूँढरा परगना सिढपुरा तहसील पटियाली जनपद कासगंज

— द्वितीय पक्ष (किरायेदार)

होतीलाल   खूबसिंह   महेन्द्रसिंह   T. Singh

श्रीराम

ज्ञात हो कि प्रथम पक्ष का एक कित: प्लाट बाकै मौजा सुनहरा परगना सिढपुरा तहसील पटियाली जनपद कासगंज में गाटा संख्या 295 व 296 में अपना पूर्ण भाग जिसका कुल क्षेत्रफल 9420 वर्गमीटर है तथा सीमाए पूरब खेत किशनलाल, पश्चिम खेत तालेवर, उत्तर खेत अतराज, दक्षिण सिढपुरा – धुमरी रोड है के हम मालिक व काबिज है जिसको निम्नलिखित शर्तो पर द्वितीय पक्ष अनुबन्ध/किराये पर ले रहे है:–

1. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त प्लाट पर मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग, सुनहरा जनपद कासगंज का संचालन होगा।
2. प्लाट उपरोक्त का वार्षिक किराया 2,40,000/–रूपये रहेगा जिसकी अदायगी द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को प्रत्येक वर्ष ईंट भट्ठा सीजन प्रारम्भ होने पर दी जायेगी।
3. यह कि मियाद किरायानामा पन्द्रह वर्ष रहेगी किराया भट्टे में आग पड़ने की तारीख से शुरू होगा।
4. यह कि किराया का भुगतान चैक द्वारा किया जावेगा।
5. यह कि अवधि पूर्ण होने के बाद अगर भट्टा छोड़कर द्वितीय पक्ष जाता है तो हमारा भट्टा पूर्ण बना हुआ छोड़कर जायेगा वर्तमान समय कीमत ऑकने पर।
6. यह कि अवधि पूर्ण होने के बाद उक्त भट्टा को किराये पर पहले द्वितीय पक्ष के लिए होगा या स्वयं प्रथम पक्ष उक्त भट्टे का संचालन करेगें अन्य किसी तीसरे पक्ष के लिए नही होगा।
7. द्वितीय पक्ष को उक्त प्लाट में ईंट भट्टा स्थापित करने, चिमनी बनाने, गद्दी बनाने, अस्थायी श्रमिक आवास बनाने का अधिकार होगा किन्तु द्वितीय पक्ष को उक्त प्लाट में ईंट पथाई करने का अधिकार नही होगा।
8. बाद मियाद किरायानामा द्वितीय पक्ष प्लाट उपरोक्त को जहॉ है, जैसा है प्रथम पक्ष को सौपने को प्रतिबद्ध है।

9. द्वितीय पक्ष को प्लाट उपरोक्त में केवल ईंट भट्टा स्थापित कर संचालित करने का अधिकार होगा उसे प्लाट उपरोक्त के ईंट भट्टा स्थापित करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपयोग करने का अधिकार न होगा।
10. द्वितीय पक्ष प्लाट उपरोक्त में किसी अन्य व्यक्ति को साझेदारी के रूप में रख सकते है द्वितीय पक्ष को प्लाट उपरोक्त को बिकी करने का कोई अधिकार न होगा।
11. द्वितीय पक्ष स्वेच्छा से अवधि पूर्व भी प्लाट खाली करना चाहेगा तो प्लाट खाली कर कब्जा प्रथम पक्ष को देने को प्रतिबद्ध है द्वितीय पक्ष द्वारा अवधि पूर्व प्लाट खाली करने की दशा में प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।
12. दोनो पक्ष शरायत किरायानामा उपरोक्त का पालन करने को प्रतिबद्ध है।
13. दोनो पक्ष आपसी सहमति से बाद मियाद किरायानामा अवधि किरायेदारी बढ़ा सकते है किन्तु इसके लिए नवीन किरायानामा पंजीकृत कराना होगा।
14. दोनो पक्षों के बीच किसी विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र कासगंज होगा।

अतः बखुशी बिना किसी जब्र व दबाव मन बुद्धि तथा इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में दोनो पक्षों ने यह किरायानामा लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

T. Singh

गवाह – 1. नित्यानन्द पुत्र श्री रामभरोसेलाल निवासी ग्राम भीकपुर परगना सिढपुरा तहसील पटियाली जनपद कासगंज

गवाह – 2. श्रीकिशन पुत्र श्री कालीचरन निवासी मौ0 इन्द्रपुरी, सिढपुरा परगना सिढपुरा तहसील पटियाली जनपद कासगंज

तहरीर दिनांक– 18 मार्च 2021
मसविदा तैयार कुरादा प्रमोद कुमार शाक्य, एडवोकेट
तहसील पटियाली जनपद कासगंज

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

आधार

भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.:

To

133008710

आपका ... No. :

आधार ... कार

भारत सरकार
Government of India

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारत सरकार
Government of India

आधार

8

मेरा आ… मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

AADHAAR

VI... 1026

1947 | help... | www.uidai.gov.in

संलग्नक-6

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्याः H82595/सी-4/ईट-1072/बन्दी आदेश/2022. दिनांक : 30-9-22

मै0 एम0एस0 ईट उद्योग,
धूमरी रोड, सुनहरा, रसूलपुर भुजपुरा, सिढ़पुरा,
तहसील-पटियाली, जनपद-कासगंज।

मै0 एम0एस0 ईट उद्योग, धूमरी रोड, सुनहरा, रसूलपुर भुजपुरा, सिढ़पुरा, तहसील-पटियाली, जनपद-कासगंज द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 20.08.2022 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री शिवपाल सिंह (मुनीम) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार संदर्भित ईंट भट्ठा से सटा हुआ लगभग-15 बीघा आम का बाग स्थिति है। संदर्भित ईट भट्टा स्थल से पूरब दिशा में लगभग-200 मी0 दूरी पर पूर्व से स्थापित मै0 एम0के0जी0 ईट भट्ठा, तत्पश्चात् लगभग-1.10 कि0मी0 दूरी पर ग्राम-निबउआ, पश्चिम दिशा में लगभग-200 मी0 दूरी पर मै0 बालाजी ईट उद्योग तत्पश्चात् आम का बाग, उत्तर दिशा में लगभग-60 मी0 दूरी पर धूमरी-सिढ़पुरा मार्ग तत्पश्चात् लगभग-570 मी0 दूरी पर ग्राम-भुजपुरा, दक्षिण दिशा में लगभग-1.10 कि0मी0 दूरी पर ग्राम-लोंगपुर, उत्तर-पूरज दिशा में लगभग-350 मीटर दूरी पर ग्राम-सलुपुरा, उत्तर-दक्षिण दिशा में लगभग-380 मी0 दूरी पर सुबेदार महिपाल शिक्षा निकेतन स्कूल तत्पश्चात् लगभग-990 मी0 दूरी पर ग्राम-नगला भुजपुरा तथा पश्चिम-दक्षिण दिशा में लगभग-970 मी0 दूरी पर ग्राम-भीखपुर स्थित है, जो 2012 की नियमावली के विरूद्ध है। आख्यानुसार प्रश्नगत ईंट भट्ठे की स्थापना राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये की गयी है एवं बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये ईंट भट्ठे का संचालन किया जा रहा है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 में प्राविधानित है कि :-

"....21. Restrictions on use of certain industrial plants.—

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant......"

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक-1523/केएम-630/2022, दिनांक 22.08.2022 द्वारा प्रेषित ईंट भट्ठे की निरीक्षण आख्या में प्रश्नगत ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रंण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ईट भट्ठा मै0 एम0एस0 ईट उद्योग, धूमरी रोड, सुनहरा, रसूलपुर भुजपुरा, सिढ़पुरा, तहसील-पटियाली, जनपद-कासगंज के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रंण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित बन्दी आदेश जारी किया जाता हैं :-

1. यह कि मै0 एम0एस0 ईट उद्योग, धूमरी रोड, सुनहरा, रसूलपुर भुजपुरा, सिढ़पुरा, तहसील-पटियाली, जंनपद-कासगंज के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मै0 एम0एस0 ईट उद्योग, धूमरी रोड, सुनहरा, रसूलपुर भुजपुरा, सिढ़पुरा, तहसील-पटियाली, जनपद-कासगंज को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

ADE/J.E.

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, कासगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी, खनन, जनपद-कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ईंट भट्ठे के की खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जाये।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद-कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि ईंट भट्ठे को उनके द्वारा ईंट पथाई एवं फुकाई हेतु निर्गत लाइसेंस, अनुमति आदि निरस्त करते हुए भट्ठे को अपने स्तर से भी बन्द करवाने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे द्वारा संचालित ईंट पथाई एवं फुंकाई कार्य को तत्काल रूकवाये जाने हेतु जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त बन्दी आदेश का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन के अन्दर मुख्यालय प्रेषित करें।

11-10-22

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

टी.सी.-12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.com

TC.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

संलग्नक-7

20/2/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : H89110 /सी–4/ईट–1072/पर्या0क्षति0/2023 दिनांक : 14-02-23

सेवा में,

मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग,
ग्राम–धूमरी रोड, सुनहरा रसूलपुर भुजपुरा, सिढ़पुरा, तहसील–पटियाली,
जनपद–कासगंज

विषय : पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–837/2022 सुन्तेरा सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.11.2022 के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 18.01.2023 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री किशन (मुनीम) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्ठा स्थल उ0प्र0 शासन द्वारा जारी उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाईडलाइन के अनुरूप नहीं है। तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच82595/सी–4/ईट–1072/बन्दी आदेश/2022, दिनांक 30.09.2022 के माध्यम से मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग, ग्राम–धूमरी रोड, सुनहरा रसूलपुर भुजपुरा, सिढ़पुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति पत्र संख्या–2756/केएम–630/2023 दिनांक 31.01.2023 में दिनांक 12.01.2023 से दिनांक 18.01.2023 तक कुल 07 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार 12,500/– प्रतिदिन की दर से 07 दिवस हेतु कुल रू0 87,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है।

उल्लंघनकारी इकाईयों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के बिन्दु संख्या–1.3.1 (g) में उल्लिखित है कि :–

> g. *In order to include deterrent effect for repeated violations, EC may be increased on exponential basis, i.e. by 2 times on 1st repetition, 4 times on 2nd repetition and 8 times on further repetitions.*

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 31.01.2023 के दृष्टिगत मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग, ग्राम–धूमरी रोड, सुनहरा रसूलपुर भुजपुरा, सिढ़पुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बोर्ड द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना किये जाने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाइन में उल्लिखित निर्देशों In order to deterrent effect for repeated violations हेतु रू0 25,000/– प्रतिदिन गणना के आधार पर कुल रू0 1,75,000/– (रूपये एक लाख पिचत्तहर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की गयी धनराशि रू0 1,75,000/– (रूपये एक लाख पिचत्तहर हजार मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBINO570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

20/2/23

प्रभारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, कासगंज।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संदर्भित उद्योग की मूल प्रतियां एवं पूर्ण विवरण साक्ष्य सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Atulesh yadav

प्रभारी, वृत्त–4

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC.-12V., Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

संलग्नक-8

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 1081/KM-630/2023 दिनांक 16.08.23

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4)
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः मै0 एम.एस. ईंट उद्योग, (अक्षांश–27.604983 व देशान्तर–78.896790), ग्राम–सुनहरा, डाकखाना–भुजपुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज के विरूद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति एवं अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–2756 दिनांक 31.01.2023 के क्रम में अपने पत्र संख्या–एच89110 दिनांक 14.02.2023 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या–818 दिनांक 01.07.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त ईट भट्ठे का प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.एं. संख्या–837/2022 सुन्तेरा सिंह यादव बनाम उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में विचाराधीन है। सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच82595/सी–4/ईट–1072/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 30.09.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच89110 दिनांक 14.02.2023 के द्वारा दिनांक 12.01.2023 से 18.01.2023 तक उक्त ईट भट्ठे के विरूद्ध रू0 1,75,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार–2005 के अन्तर्गत अपीलकर्ता की इस कार्यालय में सुनवाई दिनांक 09.08.2023 को आयुक्त महोदय, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ का पत्रांक 980 दिनांक 08.07.2023 इस कार्यालय को दिनांक 09.08.2023 को प्राप्त कराया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। उक्त पत्र के अनुसार दिनांक 07.04.2023 को प्रशासनिक टीम एवं खनन अधिकारी द्वारा ईट भट्ठा मै0 बालाजी ईंट उद्योग, ग्राम–भुजपुरा, परगना–सिढ़पुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज एवं मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग, धूमरी रोड, सुनहरा रसूलपुर भुजपुरा, सिढ़पुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज पूर्णतयाः बन्द करा दिया गया था, वर्तमान समय में दोनों ईट भट्ठे पूर्णतयाः बन्द है।

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC= PIxNxRxSxLF, EC=50x1x500x.5x1.0=12,500/- प्रतिदिन की दर से दिनांक 19.01.2023 से दिनांक 07.04.2023 तक कुल 79 दिवस हेतु कुल रू0 12,500x79=9, 87,500/- की अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ ईट भट्ठे मै0 एम0एस0 ईंट उद्योग, धूमरी रोड, सुनहरा रसूलपुर भुजपुरा, सिढ़पुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम–1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की पुनः संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

[illegible]

सेवा में, [illegible] अलीगढ़।

श्री सुधीर बहादुर सिंह,
संयुक्त सचिव, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय,
उ0प्र0 शासन–लखनऊ।

पत्रांक: [illegible]/आई0जी0आर0एस0/2023–24 दिनांक: [illegible] जुलाई, 2023

विषय– आई0जी0आर0एस0 संदर्भ संख्या–12202230111691 की निस्तारण आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आई0जी0आर0एस0 संदर्भ संख्या–12202230111691 के माध्यम से श्री श्याम बिहारी लाल सक्सेना निवासी–05 सुभाष नगर दक्षिण अमापुर रोड सिढ़पुरा जनपद कासगंज का शिकायती प्रार्थना पत्र जो मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित है। उक्त शिकायती पत्र आपके द्वारा दिनांक 15.06.2023 को अधोहस्ताक्षरी को कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित किया गया है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में श्री सक्सेना ने मै0 बालाजी ईंट उद्योग भुजपुरा एवं एम0एस0 ईंट उद्योग धुमरी रोड ग्राम सहपुरा दोनों ईंट भट्टों को बन्द किये जाने की शिकायत की गयी है।

उक्त संदर्भ संख्या–12202230111691 जिलाधिकारी कासगंज को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी कासगंज के कार्यालय पत्र संख्या–725/ आई0जी0आर0एस0–1691–2023 दिनांक 07 जुलाई, 2023 के माध्यम से प्रकरण की जाँच आख्या उपलब्ध करायी गयी है। जिलाधिकारी कासगंज की जाँच आख्या में अवगत कराया गया है कि मै0 बालाजी ईंट भट्टा उद्योग स्थित मौजा सुनहरा के गाटा संख्या 262 में लगा हुआ है व एम0एस0 ईंट उद्योग ग्राम सुनहरा की गाटा संख्या 295 व 296 में लगा हुआ है। वर्तमान में उक्त दोनों भट्टे बन्द पाये गये। पूर्व में प्रार्थी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों की जाँच समयानुसार कर भेजी जा रही है एवं सम्बन्धित प्रदूषण एवं पर्यावरण विभाग आदि को भी कार्यवाही हेतु सूचित कर लिखा जाता रहा है प्रार्थी का मौजा सुनहरा के गाटा संख्या 267/5/0202है0 व 268/0.089है मौके पर आम का बाग लगा है। इसी कारण शिकायतकर्ता बार–बार अपनी शिकायत/आपत्ति कराता रहा है, क्योंकि जिसके कारण भट्टों के प्रदूषण से प्रार्थी के आम के बाग नुकसान/क्षति पहुंच रही है यह दोनों भट्टे प्रार्थी के बाग के निकट है। दिनांक 07.04.2023 को प्रशासनिक टीम एवं खनन अधिकारी द्वारा उक्त दोनों भट्टों को पूर्णतः बन्द करा दिया गया था वर्तमान समय में दोनों भट्टे बन्द है। अपर मुख्य अधिकारी, कासगंज ने अपनी जांच आख्या दिनांक 03.07.2023 अवगत कराया है कि उक्त ईंट भट्टे के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही मुख्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ स्तर पर विचाराधीन है भट्टा मालिक द्वारा न ही जिला पंचायत कार्यालय में आवेदन किया गया है और न ही जिला पंचायत कासगंज द्वारा कोई लाइसेन्स जारी किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 819/O.G.-162/IGRS/2023 दिनांक 01.07.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि मै0 बालाजी ईंट उद्योग ग्राम भुजपुरा परगना सिढ़पुरा तहसील पटियाली जनपद

कासगंज पर बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्या एच 89107 दिनांक 14.02.2023 के द्वारा प्रर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 75000/— (पिचत्तर हजार रू0) मात्र को जमा किये जाने हेतु ईंट भट्ठे को निर्देशित किया गया है व मै0 एमएम ईंट उद्योग ग्राम सुनहरा डाकखाना भुजपुरा तहसील पटियाली जनपद कासगंज पर बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्या एच 89110 दिनांक 14.02.2023 के द्वारा प्रर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 175000/— (एक लाख पिचत्तर हजार रू0) मात्र को जमा किये जाने हेतु ईंट भट्ठे को निर्देशित किया गया है। दोनों ईंट भट्टे के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के स्तर पर विचाराधीन है, की आख्या प्रेषित की गयी है।

जिलाधिकारी कासगंज द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच आख्या (संलग्न) के आधार पर शिकायत निक्षेपित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित है।

संलग्नक:—उपर्युक्तानुसार

भवदीय,

(नवदीप रिणवा)
आयुक्त
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।